

प्रेषक,

राम सुमेर,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- राहत आयुक्त
उ०प्र०।
- 2- समस्त जिलाधिकारी
उ०प्र०।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ:दिनांक: 06 मार्च, 2020

विषय:- आपदा की स्थिति में बेहतर समन्वित रिस्पांस करने के लिए राज्य स्तरीय/जनपदों के इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर्स की तकनीकी क्षमता में वृद्धि करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपदा की स्थिति में बेहतर समन्वित रिस्पांस करने के लिए राज्य स्तरीय/जनपदों के इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर्स की तकनीकी क्षमता में वृद्धि करने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि**, राहत आयुक्त, उ०प्र० एवं समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र० के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

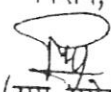
				(धनराशि रुपये में)
क्रम	धनराशि जिस स्तर पर व्यय किया जाना है	जिस कार्य हेतु व्यय किया जाना है	धनराशि (प्रति यूनिट)	योग
1	प्रदेश के सभी 75 जनपदों के इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर्स (ई०ओ०सी०) में	कम्प्यूटर, EPABX उपकरण, प्रिन्टर आदि	रु० 50,000/- प्रति जनपद	रु० 37,50,000
2	राज्य स्तरीय इमरजेंसी ऑपरेशन सेन्टर्स (एस०ई०ओ०सी०)	वी०सी० रूम की स्थापना (जिसमें वी०सी० से जुड़े समस्त व्यय अनुमन्य हैं)	रु० 12,50,000/-	रु० 12,50,000
कुल योग				50,00,000
				(रुपये पचास लाख मात्र)

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) उक्त धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(3) प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

- (4) स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।
- (6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।
- (7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- 2- उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-00-101-प्राकृतिक आपदाएं-00-09-इमरजेंसी आपरेशन सेंटर/सशक्तिकरण-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

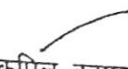
भवदीय,

 (राम कुमार)
 संयुक्त सचिव।

संख्या: 116 (1)/एक-10-2020, दिनांक: 06 मार्च, 2020

प्रतिलिपित- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।
- 5- समस्त जनपदों के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी।
- 6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- राजस्व अनुभाग-6/11।
- 8- गार्ड फाइल।

4250-00-101-09-00

आज्ञा से,

 (कपिल कुमार कटियार)
 अनु सचिव।